

न्यायालय उपखण्ड, अधिकाारी पदेन सहायक कलेक्टर भीलवाडा

पु.क्र. 172/2024  
तारीख हुकम

सोहन w/s वंश  
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

16.08.2024

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार भीलवाडा ने पत्र क्रमांक भू0अ0 /2024/2203 दिनांक 16.08.2024 से प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.08.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिसे वादी अधिवक्ता ने स्वीकार किया। विभाजन प्रस्ताव के अन्तर्गत निम्नानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है :-

ग्राम भदालीखेडा पटवार हल्का आरजिया तहसील भीलवाडा

1. सोहन पुत्र घीसा रेगर साकिन देवपुरा, कावंलास तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा, खातेदार के निम्न आराजी नम्बर 331/1 रकबा 0.4553 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 332/1 रकबा 0.2023 हैक्टेयर कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.6576 हैक्टेयर रहेगी।

2. देवीलाल दत्तक पुत्र बालु, इन्द्रा, धन्नी, प्रेम पुत्रियों बालु बलाई सा0 भदालीखेडा तहसील भीलवाडा खातेदार के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :-

आराजी नम्बर 331/2 रकबा 0.4046 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 333 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 332/2 रकबा 0.0380 हैक्टेयर कुल कित्ता 03 कुल रकबा 0.6576 हैक्टेयर रहेगी।

उपरोक्तानुसार अन्तिम डिक्री का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाडा अमल दरामद करें, निर्णय आज दिनांक 16.08.2024 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Shad  
उपखण्ड अधिकाारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर  
भीलवाडा

वाद में अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या  
172/2024

पीठासीन अधिकारी:-आह्लाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.  
दायर दिनांक  
23.07.2024

निर्णय दिनांक  
16.08.2024

1. सोहन पिता गीसा रेगर, निवासी देवपुरा पोस्ट कावंलास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा। — वादी

बनाम

1. इन्द्रा पुत्री बालू जाति बलाई निवासी भदालीखेडा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)  
2. देवी लाल दत्तक पुत्र श्री बालू बलाई निवासी भदालीखेडा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)  
3. धन्नी पुत्री बालू जाति बलाई निवासी भदालीखेडा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)  
4. प्रेम पुत्री बालू जाति बलाई निवासी भदालीखेडा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज०)  
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. वादी अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल जाट उपस्थित।  
2. विपक्षीगण उपस्थित नहीं।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 54 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
बाबत विभाजन कराये जाने कृषि आराजियात

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वरलाल जाट उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 04 उपस्थित नहीं। प्रकरण में — इस वाद में तारीख 16.08.2024 पीठासीन अधिकारी आह्लाद निवृत्ति सोमनाथ, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसकी अन्तिम डिक्री जाती है :-


गाम भदालीखेडा पटवार हल्का आराजिया तहसील भीलवाड़ा

सोहन पुत्र घीसा रेगर साकिन देवपुरा, कावंलास तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा, खातेदार के निम्न आराजी नम्बर 331/1 रकबा 0.4553 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 332/1 रकबा 0.2023 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.6576 हैक्टेयर रहेगी।

देवीलाल दत्तक पुत्र बालू, इन्द्रा, धन्नी, प्रेम पुत्रियों बालू बलाई सा0 भदालीखेडा तहसील भीलवाड़ा खातेदार के निम्न आराजी नम्बर रहेगी :-

आराजी नम्बर 331/2 रकबा 0.4046 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 333 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 332/2 रकबा 0.0380 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.6576 हैक्टेयर रहेगी।

उपरोक्तानुसार विभाजन का राजस्व अभिलेख में तहसीलदार भीलवाड़ा अमल दरामद कार्यवाही करें।

  
(आह्लाद निवृत्ति सोमनाथ)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा